भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 312

03 फरवरी, 2021 को उत्तर के लिए

सीएसआर संबंधी दिशानिर्देश

312. डा. किरोड़ी लाल मीणाः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधि के व्यय संबंधी दिशानिर्देश क्या हैं और ऐसे कार्यों तथा स्थलों, जिनके लिए विगत पांच वर्षों के दौरान इस निधि का व्यय किया गया है, का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राजस्थान में ऐसे संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र कौन-कौन से हैं, जहां समुदाय विकास हेतु सीएसआर निधि का व्यय किया गया है, का तत्संबंधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क): सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के माध्यम से निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) हेतु व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है। अधिनियम की धारा 135 में सीएसआर से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, अधिनियम की अनुसूची VII में कंपनी द्वारा की जाने वाली उपयुक्त सीएसआर गतिविधियों को निर्दिष्ट किया गया है और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 में उस रीति का निर्धारण किया गया है, जिस रीति से कंपनियाँ अधिनियम के सीएसआर प्रावधानों का अनुपालन करेंगी।

लोक उद्यम विभाग में सीपीएसई द्वारा सीएसआर व्यय के संबंध में प्रतिवर्ष एक विषय-आधारित संकेंद्रित दृष्टिकोण अपनाए जाने के लिए सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों को दिनांक 10.12.2018 को दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा विनिर्दिष्ट थ्रेशहोल्ड सीमाओं को पार करने वाले सीपीएसई को सीएसआर कार्यकलापों के लिए ठीक तीन पूर्ववर्ती वर्षों के उनके औसत निवल लाभों का न्यूनतम 2% आवंटित करना होगा। ऐसे विषयपरक कार्यक्रमों के लिए सीएसआर व्यय सीपीएसई के वार्षिक सीएसआर व्यय का लगभग 60% होना चाहिए तथा नीति आयोग द्वारा अभिज्ञात महत्वाकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

इस्पात मंत्रालय के अधीन सीपीएसई द्वारा सीएसआर पर किया गया व्यय मोटे तौर पर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत निर्धारित सीएसआर कार्यकलापों के प्रमुख क्षेत्रों के अनुसार है और इसमें शैक्षणिक स्वास्थ्य का संवर्धन, महिला सशक्तिकरण, स्वसहायता समूहों के माध्यम से सतत आय सृजन, दिव्यांगजनों की सहायता, जल तथा सफाई सुविधाओं तक पहुँच, ग्राम विकास, पर्यावरण संपोषण, स्पोर्ट्स कोचिंग, पारंपरिक कला एवं संस्कृति का संवर्धन इत्यादि शामिल है। सीएसआर परियोजनाएं मुख्य रूप से इस्पात संयंत्रों, इस्पात टाउनशिपों और खदानों के आस-पास कार्यान्वित की जाती हैं।

उन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों, जहाँ विगत पाँच वर्षों अर्थात् 2015-16 से 2019-20 के दौरान इस्पात मंत्रालय के अधीन सीपीएसई द्वारा सीएसआर कार्यकलाप किए गए हैं और व्यय किया गया है, को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख): एनएमडीसी लिमिटेड ने सीएसआर के तहत वित्त वर्ष 2015-16 में राजस्थान के जयपुर जिले में 15.81 लाख रुपये व्यय किए हैं।

****

अनुलग्नक – I

दिनांक 03.02.2021 को उत्तरार्थ राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 312 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

विगत पाँच वित्त वर्षों के दौरान इस्पात मंत्रालय के अधीन सीपीएसई द्वारा राज्यों में किए गए गतिविधियों और सीएसआर पर किए गए व्यय को दर्शाने वाला विवरण

सीपीएसई का नाम	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम और किए गए सीएसआर गतिविधियाँ	सीएसआर व्यय (लाख रुपये में)				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल)	सेल ने पिछले पांच वर्षों के दौरान सीएसआर गतिविधियों को शुरू किया है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, महिला सशक्तिकरण, स्व-सहायता समूहों के माध्यम से सतत आय सृजन, दिव्यांगों को सहायता (विशेष योग्यताओं वाले लोग), खेल कोचिंग को बढ़ावा देना, पारंपरिक कला और संस्कृति, जल सुविधाओं तक पहुंच और स्वच्छता, पर्यावरण स्थिरता, आदि। सीएसआर गतिविधियाँ मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, दिल्ली, हरियाणा राज्यों में की गई हैं।	7616	2905	2570	3118	2756
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)	आरआईएनएल ने पिछले पांच वर्षों के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कौशल विकास, पर्यावरण, सामुदायिक विकास, ग्रामीण विकास, विरासत की सुरक्षा, कला, पुस्तकालय और संस्कृति, खेल, महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों को सहायता, प्रधानमंत्री कोष में योगदान आदि जैसे क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियां की हैं। सीएसआर गतिविधियों को मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा और केरल में किया गया है।	873	853	960	1030	796
एनएमडीसी	एनएमडीसी ने पिछले पांच वर्षों के दौरान	21009	17418	16937	16724	19999

लिमिटेड	पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, पर्यावरण, आधारभूत संरचना, संस्कृति और विरासत, बाढ़ राहत / प्राकृतिक आपदा, पोषण, कौशल विकास, खेल को बढ़ावा देने, आदि जैसे सीएसआर गतिविधियों को अंजाम दिया है। गतिविधियों को मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, केरल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में किया गया है।					
मॉयल लिमिटेड	मॉयल ने पिछले पांच वर्षों के दौरान कौशल विकास, सामुदायिक विकास, स्कूल भवन का निर्माण, गांवों में नाली / सीवरेज का प्रावधान, जैविक जल परिवर्तक मशीन, अस्पतालों की स्थापना, स्वास्थ्य और स्वच्छता, रूफ टॉप सोलर सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना जैसे क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियां की हैं। आरएनटी स्कूल के लिए प्रायोजन, पुलिस कल्याण कोष में योगदान, जिला खेल, सक्षम बालिका योजना, पीएम कार्स फंड में योगदान, रवींद्रनाथ टैगोर स्कूल के लिए वित्तीय सहायता, फ्लाईओवर, अस्पताल, स्कूल, उद्योग, जल निकासी का निर्माण, शौचालय, पर्यावरण आदि। सीएसआर गतिविधियां मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना राज्यों में की गई हैं।	1486	1143	962	929	1275
एमएसटीसी लिमिटेड	एमएसटीसी ने पिछले पांच वर्षों के दौरान कौशल विकास, अनाथ विद्यालय के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण, शिशु देखभाल केंद्र, अस्पताल और स्वच्छता, शौचालय, आश्रय, नलकूप, मोबाइल चिकित्सा वैन, वरिष्ठ नागरिकों को आवास, प्रधान मंत्री कोष में योगदान आदि जैसे क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियां की हैं। गृह, सीएसआर गतिविधियां मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, केरल और उत्तर	150	80	215	200	54

	प्रदेश में की गई हैं।					
केआईओसीएल लिमिटेड	केआईओसीएल ने पिछले पांच वर्षों के दौरान स्वास्थ्य और स्वच्छता, बुनियादी ढाँचा, कौशल विकास, स्कूल, छात्रवृत्ति और शिक्षा, पर्यावरण, पेयजल, आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को शैक्षिक सहायता, बदहाल शौचालयों का नवीनीकरण, स्वच्छ भारत अभियान के लिए सहायता, सौर आधारित स्मार्ट कक्षाएं, राष्ट्रीय खेल विकास निधि में योगदान, पुनर्वास गतिविधियाँ करने के लिए आपदा प्रबंधन, कोविड -19 से निपटने में सहायता, पीएम केयर कोष में योगदान, मिड-डे-मील के लिए समर्थन आदि जैसे क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियाँ की हैं। सीएसआर गतिविधियाँ कर्नाटक, ओडिशा, केरल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में मुख्य रूप से किया जाता है।	64	38	16	33	331
मेकॉन लिमिटेड	मेकॉन ने पिछले पांच वर्षों के दौरान शौचालयों और बाथरूमों के निर्माण / मरम्मत / स्थापना, स्कूलों में छात्रावास, बोरवेल, सौर आधारित जल आपूर्ति, मोबाइल स्वास्थ्य शिविर, अस्पताल और स्वच्छता, पर्यावरण, कूल एयर वेंटिलेशन सिस्टम साक्षरता कार्यक्रम, जनजातीय लोक और पारंपरिक चित्रकला शिविर, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आंगनवाड़ी केंद्र का संवर्धन, महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण, चिकित्सा / पोषण संबंधी खुराक का वितरण, पीएम कार्स फंड में योगदान, आदि जैसे सीएसआर गतिविधियों को अंजाम दिया है। सीएसआर गतिविधियों को मुख्य रूप से झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा राज्यों में किया गया है।	222	67	49	17	330

****